



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरिवाला, देहरादून – 248001 दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137,

वेबसाइट : www.uau.ac.in ईमेल : uaucounselling@gmail.com,

Helpline No- 7217213958

पत्रांक संख्या: 3316/काउंसिलिंग/2020-21

दिनांक : 03.03.2021

सूचना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आयुष स्नातक काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु निम्नलिखित निजी संस्थानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में याचिका दायर की गई है:-


1. ओम आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, रूडकी, हरिद्वार।
(याचिका संख्या :- W.P.(C) 2264/2021 & CM APPL 6585/2021)
2. हरिद्वार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर, मुस्तफाबाद, लक्सर रोड, हरिद्वार।
(याचिका संख्या:- 1905/2021)
3. उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, ग्राम- मुस्तफाबाद(पदार्था), हरिद्वार।
(याचिका संख्या:-W.P(C)2071/2021)
4. बिहाईव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल, सेन्द्रल हॉप टाउन, सेलाकुई, देहरादून।
(याचिका संख्या:-W.P(C)2499/2021)
5. देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एण्ड हास्पिटल, नौगांव, माण्डुवाला, देहरादून।
(याचिका संख्या:-W.P(C)2454/2021)

2- उक्त संस्थान में प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा निम्न प्रारूप में प्रवेश के समय 100 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बंधित संस्थानों के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को यह भली-भांति पता हो की उक्त संस्थानों के प्रवेश के सम्बंध में वाद मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित है एवं अंतिम निर्णय के उपरांत ही उनका प्रवेश मान्य एवं नामांकन किया जाना सम्भव होगा।

प्रारूप

1. Take undertaking from the Prospective Students:

- that they have reviewed the copy of the interim order passed by the Hon'ble Delhi High Court in Writ Petition No..... Dated
- that they have read and understand the interim order passed by the Hon'ble Delhi High Court in Writ Petition No..... Dated.....
- That even after being aware of the fact and circumstances of the matter they at their own risk are taking admission in the aforesaid college, if any adverse order is passed by the Hon'ble court in Writ petition No..... they will follow the orders passed by Hon'ble court and will not claim anything from the Uttarakhand Ayurveda University.


3/3/21
कुलसचिव